



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-एम.एच.-अ.-20112020-223211
CG-MH-E-20112020-223211

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 507]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, नवम्बर 19, 2020/कार्तिक 28, 1942

No. 507]

NEW DELHI THURSDAY, NOVEMBER 19, 2020/KARTIKA 28, 1942

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

अधिसूचना

मुंबई, 3 नवम्बर, 2020

सं. टीएएमपी/46/2016-बीपीसीएल.—महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 48 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण एतद्वारा जवाहरलाल नेहरू पत्तन न्यास में कार्यरत भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के मौजूदा दरमानों की वैधता का विस्तार, इसके साथ संलग्न आदेश के अनुसार, करता है।

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

मामला सं. टीएएमपी/46/2016-बीपीसीएल

भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड

आवेदक

गणपूर्ति

- (i). श्री टी.एस.बालसुब्रमनियन, सदस्य (वित्त)
- (ii). श्री रजत सच्चर, सदस्य (आर्थिक)

आदेश

(अक्तूबर, 2020 के 28 वें दिन पारित)

यह मामला जवाहरलाल नेहरू पत्तन (जेएनपीटी) की तरल कार्गो बर्थ में कार्यरत भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल) के मौजूदा दरमानों की वैधता के विस्तार से संबंधित है।

2.1. जवाहरलाल नेहरू पत्तन (जेएनपीटी) की तरल कार्गो बर्थ में कार्यरत भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल) के मौजूदा दरमान इस प्राधिकरण के 8 फरवरी 2017 के आदेश संख्या टीएएमपी/46/2016-बीपीसीएल के द्वारा अनुमोदित किये गये थे। वह आदेश भारत के राजपत्र में 06 मार्च 2017 के राजपत्र संख्या 94 में अधिसूचित हुए थे। उक्त आदेश में दरमानों की वैधता 31 मार्च 2019 तक निर्धारित की गयी थी।

2.2. तत्पश्चात, बीपीसीएल के अनुरोध के आधार पर प्राधिकरण बीपीसीएल के मौजूदा प्रशुल्क की वैधता का विस्तार नियमित रूप से करता आ रहा है।

2.3. पिछली बार, वैधता का विस्तार 6 महीने की अवधि के लिये यानी 01 अप्रैल, 2020 से 30 सितम्बर, 2020 तक किया गया था।

3.1. इस पृष्ठभूमि में बीपीसीएल ने 09 सितम्बर 2020 के अपने पत्र के द्वारा संसूचित किया है कि संयुक्त सुनवाई में की गई चर्चा और प्रयोक्ताओं की टिप्पणियों के आधार पर बीपीसीएल का प्रस्ताव समीक्षाधीन है अभी और समय लगने की संभावना है क्योंकि उनका संगठन एक बहुस्तरीय संगठन है।

3.2. इसलिये बीपीसीएल ने इस प्राधिकरण को अपने मौजूदा दरमानों की वैधता का विस्तार और 3 महीने की अवधि के लिए, यानी 01 अक्टूबर, 2020 से 31 दिसम्बर, 2020 तक, करने का अनुरोध किया है।

4.1. बीपीसीएल के प्रशुल्क को अंतिम रूप दिया जाना बीपीसीएल से वांछित सूचना के अभाव में लम्बित पड़ा है। अतः मामले को अंतिम रूप दिये जाने में अभी और समय लगने की संभावना है।

4.2. उपरोक्त को देखते हुए और चूंकि बीपीसीएल के मौजूदा दरमानों की वैधता 30, सितम्बर 2020 को समाप्त हो गयी है, और उसके द्वारा ऊपर दिये गये कारणों से तथा बीपीसीएल के अनुरोध के आधार पर और प्रशुल्क में किसी निर्वात से बचने के लिये यह महसूस किया गया कि बीपीसीएल के मौजूदा दरमानों की वैधता 30 सितम्बर, 2020 से आगे बढ़ाये जाने की आवश्यकता है।

4.3. तदनुसार, यह प्राधिकरण बीपीसीएल के मौजूदा दरमानों की वैधता का और 3 महीने की अवधि के लिए, यानी 01 अक्टूबर, 2020 से 31 दिसम्बर, 2020 तक, अथवा बीपीसीएल द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली सूचना / स्पष्टीकरण के आधार पर नये दरमानों को अंतिम रूप दिये जाने तक, जो भी पहले हो, विस्तार करता है, जैसा बीपीसीएल ने अनुरोध किया है।

4.4. यदि बीपीसीएल के निष्पादन की समीक्षा के दौरान 01 अप्रैल, 2019 के बाद की अवधि के लिए ग्राह्य लागत और अनुज्ञेय प्रतिफल के अतिरिक्त कोई अधिशेष पाया जाता है तो ऐसे अतिरिक्त अधिशेष को सरकार द्वारा 05 मार्च, 2019 के पत्र संख्या पीआर-14019/20/2009-पीजी(भाग-IV) द्वारा जारी और इस प्राधिकरण द्वारा भारत के राजपत्र में अधिसूचित महापत्तन न्यास बीओटी प्रचालकों के प्रशुल्क निर्धारण दिशानिर्देश 2019 के खंड 3.1.2 के अनुसार निपटारा जायेगा, जो पहले प्रशुल्क दिशानिर्देश 2005 द्वारा शासित होते थे।

टी.एस. बालसुब्रमनियन, सदस्य (वित्त)

[विज्ञापन.-III/4/असा./356/2020-21]

TARIFF AUTHORITY FOR MAJOR PORTS

NOTIFICATION

Mumbai, the 3rd November, 2020

No. TAMP/46/2016-BPCL.—In exercise of the powers conferred by Section 48 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Tariff Authority for Major Ports hereby extends the validity of the existing Scale of Rates of the Bharat Petroleum Corporation Limited operating in the Jawaharlal Nehru Port Trust as in the Order appended hereto.

Tariff Authority for Major PortsCase No. TAMP/46/2016-BPCL**The Bharat Petroleum Corporation Limited**

- - -

Applicant**QUORUM**

- (i). Shri. T.S. Balasubramanian, Member (Finance)
- (ii). Shri. Rajat Sachar, Member (Economic)

ORDER(Passed on this 28th day of October 2020)

This case relates to the extension of the validity of the existing Scale of Rates of Bharat Petroleum Corporation Limited (BPCL) operating the Liquid Cargo Berth at the Jawaharlal Nehru Port Trust (JNPT).

2.1. The existing Scale of Rates (SOR) of Bharat Petroleum Corporation Limited (BPCL) operating in the Jawaharlal Nehru Port Trust was approved by the Authority vide Order No. TAMP/46/2016-BPCL dated 8 February 2017. This Order was notified in the Gazette of India on 06 March 2017 vide Gazette No. 94. The Order prescribed the validity of the SOR of BPCL till 31 March 2019.

2.2. Thereafter, based on the request of BPCL, the Authority has on regular occasions, extended the validity of the existing tariff of BPCL.

2.3. On the last occasion, the validity was extended for a period of 6 months from 01 April 2020 to 30 September 2020.

3.1. In this backdrop, the BPCL vide its email dated 9 September 2020 has stated that based on the discussions at the joint hearing and comments of users, the proposal of BPCL is under review and that this could take some more time, because of their multi layered organogram.

3.2. Therefore, BPCL has requested this Authority to extend the validity of the existing Scale of Rates for a further period of 3 months i.e. from 1 October 2020 to 31 December 2020.

4.1. Finalisation of tariff of BPCL is pending for want of requisite information from BPCL. Hence, it may take some more time for the case to mature for finalization.

4.2. In view of above and since the extended validity of the existing tariff of BPCL has already expired on 30 September 2020 and based on the request made by BPCL for the reasons cited by it and in order to avoid a vacuum in the tariff, it is felt appropriate to extend the validity of the existing tariff of BPCL beyond 30 September 2020.

4.3. Accordingly, this Authority extends the validity of the existing tariff of BPCL for a further period of 3 months i.e. 01 October 2020 to 31 December 2020 or upto the finalization of new SOR, based on the information/clarification to be furnished by BPCL. Whichever is earlier, as requested by BPCL.

4.4. If any additional surplus over and above the admissible cost and permissible return emerges for the period post 01 April 2019, during the review of performance of BPCL, such additional surplus will be dealt with as per Clause 3.1.2 of the Tariff Guidelines, 2019, for determination of tariff for BOT operators operating in Major Port Trusts and previously governed by 2005 Tariff Guidelines issued by the Government vide its letter no. PR-14019/20/2009-PG (pt-IV) dated 5 March 2019 and notified by this Authority in the Gazette of India.

T.S. BALASUBRAMANIAN, Member (Finance)
[ADVT.III/4/Ext./356/2020-21]